पत्रांक–डी0डी0–1–विविध–45 / 2023–24 ...7923 (अ)भि०

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

राकेश कुमार,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक–29/9/23

विषयः– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में आधारभूत संरचना के विकास के संबंध में पारित समादेश याचिका संख्या–1022 / 1989 के अनुपालन एवं दिनांक 20.05.2022 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही के आलोक में अधीनस्थ न्यायालयो में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता हेतु कृत कार्रवाई संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

प्रसंगः– सरकार के सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 7372 दिनांक 08.09.23

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में आधारभूत संरचना के विकास के संबंध में पारित समादेश याचिका संख्या–1022 / 1989 के अनुपालन एवं दिनांक 20.05.2022 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही के आलोक में अधीनस्थ न्यायालयों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता हेतु कृत कार्रवाई संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गई है। संलग्न कार्यवाही में कंडिका–1, 2 एवं 10 भवन निर्माण विभाग से संबंधित है। जिसे विहित प्रपत्र में इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

अतः अपने क्षेत्राधीन न्यायालयों में उक्त न्यायादेश के अनुपालन के निमित्त किये जाने वाले सभी कार्यो (पूर्ण / प्रगति पर / प्रस्तावित) का अद्यतन प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त कार्य कराने के क्रम में यदि मुख्य वास्तुविद् से कोई अनुमोदन की आवश्यकता हो तो प्रस्ताव पर मुख्य वास्तुविद् की सहमति प्राप्त कर लें।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन
27/9/23
(राकेश कुमार)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– 7923 (अ) दिनांक–29/9/23

प्रतिलिपिः–मुख्य वास्तुविद् / सभी मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/9/23
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– 7923 (अ) दिनांक–29/9/23

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/9/23
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

कार्यवाही में भवन निर्माण विभाग से संबंधित बिन्दु।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में आधारभूत संरचना के विकास के निमित्त समादेश याचिका सं0–1022/1989 में दिनांक 02.08.2018 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक–20.05.2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन।

1	राज्य के कोर्ट भवन/परिसर में वादीगण एवं वकीलों हेतु बुनियादी सुविधा की व्यवस्था :– (क) पर्याप्त बैठने की जगह एवं बैठने की व्यवस्था तथा प्रतीक्षा स्थल। (ख) पर्याप्त प्रकाश एवं विद्युत की व्यवस्था (पंखों के साथ)। (ग) स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। (घ) पुरूष, महिला, ट्रांसजेंडर एवं दिव्यांगजनों के लिए अलग–अलग वाशरूम/टॉयलेट की व्यवस्था। (ड़) कैन्टीन की व्यवस्था।	
2	(क) राज्य के कोर्ट भवन/परिसरों में दिव्यांगजनों/कमजोर व्यक्तियों के लिए रैम्प (स्टील रेलींग एवं हैण्डल के साथ) का निर्माण। (ख) दृष्टि बाधितजनों हेतु कोर्ट परिसर में आवागमन के निमित्त ब्रेल साईनेज एवं स्पर्श फुटपाथ (Tactile Pavements) की व्यवस्था। (ग) नागरिकों के लिए पूरे कोर्ट परिसर का नक्शा एवं फ्लोर प्लान प्रवेश/निकास बिन्दु पर लगाये जाने की व्यवस्था। (घ) कोर्ट परिसर में आवागमन हेतु दिशा–चिन्हों एवं प्रतीकों की व्यवस्था।	
10	राज्य के न्यायिक पदाधिकारी एवं कर्मियों हेतु पर्याप्त आवासन की सुविधा।	